

**वर्ष 2014-15 से औद्यानिकी के एकीकृत विकास हेतु मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture - MIDH) के अन्तर्गत हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को विभिन्न घटकों (Componentes) में 25 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक राज सहायता प्रदान की जायेगी**

क्र० सं०	घटक का नाम	मद	लागत एवं राज सहायता का विवरण			अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
			मैदानी क्षेत्रों हेतु	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु	
1.	पौधशाला की स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> <li>● हाईटैक पौधशाला (2 से 4 है० क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 50,000 पौध प्रति है० प्रतिवर्ष होगा</li> <li>● छोटी पौधशाला (01 है० क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 25,000 पौध प्रति है० प्रतिवर्ष होगा</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ₹25.00 लाख प्रति है० (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 40%)</li> <li>● ₹15.00 लाख प्रति है० (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 50%) ऋण अनिवार्य</li> </ul>	तदनुसार	तदनुसार	₹100.00 लाख  ₹15.00 लाख
2.	सब्जी एवं मसाला बीज उत्पादन	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ओपन पॉलीनेटिड फसल</li> <li>● हाईब्रिड बीज</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ₹35,000 प्रति है० (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 50%)</li> <li>● ₹1.50 लाख प्रति है० (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 50%)</li> </ul>	तदनुसार	तदनुसार	5 है०
3.	नये उद्यानों की स्थापना					
अ	फल क्षेत्रफल विस्तार (सामान्य)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● इन्टीग्रेटेड (ड्रिप सहित)</li> <li>● नॉन इन्टीग्रेटेड</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ₹1,00,000 प्रति है० का 50%</li> <li>● ₹60,000 प्रति है० का 50% (उक्त राज सहायता 3 वर्षों में 60:20:20 की दर से देय)</li> </ul>	तदनुसार	तदनुसार	4 है०
	फल क्षेत्रफल विस्तार (सघन)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● इन्टीग्रेटेड (ड्रिप सहित)</li> <li>● नॉन इन्टीग्रेटेड</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ₹1,50,000 प्रति है० का 50%</li> <li>● ₹1,00,000 प्रति है० का 50% (उक्त राज सहायता 3 वर्षों में 60:20:20 की दर से देय)</li> </ul>	तदनुसार	तदनुसार	4 है०
ब	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	संकर प्रजाति की सब्जी की खेती	₹50,000 प्रति है० का 50 प्रतिशत	तदनुसार	तदनुसार	2 है०
स	मसाला क्षेत्र विस्तार	बीज एवं कन्द वाली मसाला की खेती	₹30,000 प्रति है० का 50 प्रतिशत	तदनुसार	तदनुसार	4 है०
द	पुष्प क्षेत्र विस्तार	<ul style="list-style-type: none"> <li>● खुले,</li> <li>● डंडीयुक्त एवं</li> <li>● बल्बयुक्त</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ₹40,000 प्रति है० का 50%</li> <li>● ₹1,00,000 प्रति है० का 50%</li> <li>● ₹1,50,000 प्रति है० का 50%</li> </ul>	तदनुसार	तदनुसार	2 है०

क्र० सं०	घटक का नाम	मद	लागत एवं राज सहायता का विवरण			अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
			मैदानी क्षेत्रों हेतु	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु	
य	मशरूम उत्पादन	<ul style="list-style-type: none"> <li>उत्पादन यूनिट</li> <li>कम्पोस्ट यूनिट</li> <li>स्पॉन यूनिट</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कुल लागत ₹20.00 लाख</li> <li>कुल लागत ₹20.00 लाख</li> <li>कुल लागत ₹15.00 लाख (राजकीय हेतु 100% व व्यक्तिगत हेतु 40%)</li> </ul>	तदनुसार	तदनुसार	
4.	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार	पुराने उद्यानों के जीर्णोद्धार की योजना	₹40,000 प्रति है० का 50%	तदनुसार	तदनुसार	2 है०
5.	जल प्रबन्धन व्यवस्था					
अ	ट्यूबवेल स्थापना/पौण्ड निर्माण	1. नये ट्यूबवेल की स्थापना। 2. 20X20X3 मी० आकार के पौण्ड का निर्माण	₹1,50,000 प्रति इकाई का 50%	₹1,80,000 प्रति इकाई का 50%	तदनुसार	1 नग
ब	कम्प्यूनिटी टैंक/ऑन फार्म पौण्ड	सामुदायिक रूप से 10 है० नियन्त्रित क्षेत्र की सिंचाई के लिये आकार 100mX100mX3m के टैंक/पौण्ड निर्माण	₹20,00,000 प्रति इकाई का 100% प्रति इकाई	₹25,00,000 प्रति इकाई का 100% प्रति इकाई	तदनुसार	1 नग
6	संरक्षित खेती					
अ	ग्रीन हाउस निर्माण	विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम पालीहाउस	कुल लागत का 50 प्रतिशत 500 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1650.00/- प्रति वर्ग मीटर 500 से 1008 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1465/ प्रति वर्ग मीटर 1008 से 2080 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1420.00/ प्रति वर्ग मीटर 2080 से 4000 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1400.00/ प्रति वर्ग मीटर	कुल लागत का 50 प्रतिशत 500 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1897.50/- प्रति वर्ग मीटर 500 से 1008 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1684.75/ प्रति वर्ग मीटर 1008 से 2080 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1633.00/ प्रति वर्ग मीटर 2080 से 4000 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1610.00/ प्रति वर्ग मीटर	तदनुसार	4000 वर्ग मीटर
		विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु ट्यूबलर स्ट्रक्चर पालीहाउस	कुल लागत का 50 प्रतिशत 500 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1060.00/- प्रति वर्ग मीटर 500 से 1008 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹935.00/ प्रति वर्ग मीटर 1008 से 2080 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹890.00/ प्रति वर्ग मीटर 2080 से 4000 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹844.00/ प्रति वर्ग मीटर	कुल लागत का 50 प्रतिशत 500 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1219.00/- प्रति वर्ग मीटर 500 से 1008 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1075.25/ प्रति वर्ग मीटर 1008 से 2080 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1023.50/ प्रति वर्ग मीटर 2080 से 4000 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹970.60/ प्रति वर्ग मीटर	तदनुसार	

क्र० सं०	घटक का नाम	मद	लागत एवं राज सहायता का विवरण			अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
			मैदानी क्षेत्रों हेतु	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु	
ब	शैड नेट हाउस	<ul style="list-style-type: none"> <li>ट्यूबलर स्ट्रक्चर,</li> <li>लकड़ी का ढाँचा</li> <li>बॉस का ढाँचा</li> </ul>	कुल लागत का 50 प्रतिशत <ul style="list-style-type: none"> <li>₹710 प्रति वर्गमी० का 50%</li> <li>₹492 प्रति वर्गमी० का 50%</li> <li>₹360 प्रति वर्गमी० का 50%</li> </ul>	कुल लागत का 50 प्रतिशत <ul style="list-style-type: none"> <li>₹816.50 प्रति वर्गमी० का 50%</li> <li>₹565.80 प्रति वर्गमी० का 50%</li> <li>₹414.00 प्रति वर्गमी० का 50%</li> </ul>	तदनुसार	4000 वर्ग मीटर
स	प्लास्टिक टनल		₹60 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत	₹75 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत	तदनुसार	1000 वर्ग मीटर
द	प्लास्टिक मल्टिचिंग	नमी को रोकने एवं प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक सीट से ढकना	₹32,000 प्रति है० का 50 प्रतिशत	₹36,800 प्रति है० का 50 प्रतिशत	तदनुसार	2 है०
य	एन्टी हेल नेट	फलों एवं सब्जी फसलों की ओलों की सुरक्षा हेतु	₹35 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत	तदनुसार	तदनुसार	5000 वर्गमीटर
र	संरक्षित खेती के लिये रोपण की व्यवस्था	सब्जी पौध	₹140 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत	तदनुसार	तदनुसार	4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल
		<ul style="list-style-type: none"> <li>पुष्प (आर्किड, एन्थोरियम)</li> <li>पुष्प (कारनेशन, जरबेरा)</li> <li>पुष्प (गुलाब)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>₹700 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत</li> <li>₹610 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत</li> <li>₹426 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत</li> </ul>	तदनुसार	तदनुसार	
7.	जैविक खेती					
अ	जैविक खेती अपनाना	विभिन्न फसलों की जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु	₹20,000 प्रति है० का 50 प्रतिशत (तीन वर्षों में क्रमशः ₹4,000, ₹3,000 एवं ₹3,000 की दर से)	तदनुसार	तदनुसार	4 है०
ब	जैविक खेती प्रमाणीकरण	₹5.00 लाख प्रति 50 है० कलस्टर (तीन वर्षों में क्रमशः ₹1.50 लाख, ₹1.50 लाख एवं ₹2.00 लाख की दर से)				
स	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का निर्माण	30X8X2.5 फीट आकार के वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना	₹1,00,000 प्रति इकाई का 50%	तदनुसार	तदनुसार	1 यूनिट
द	एच.डी.पी.ई. वर्मीवैड	96 Cft (12'x4'x2') आकार के एच.डी.पी.ई. वर्मीवैड की स्थापना	₹16,000 प्रति इकाई का 50%	तदनुसार	तदनुसार	1 यूनिट
8.	औद्योगिक यन्त्रीकरण	ट्रैक्टर (20 पी०टी०ओ० एच०पी० तक)	₹3,00,000 प्रति इकाई का 25% सामान्य लाभार्थियों हेतु	तदनुसार	₹3,00,000 प्रति इकाई का 35%	1 यूनिट
		पॉवर टिलर (8 बी०एच०पी० तक)	₹1,00,000 प्रति इकाई का 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	तदनुसार	₹1,00,000 प्रति इकाई का 50%	
		पॉवर टिलर (8 बी०एच०पी० से अधिक)	₹1,50,000 प्रति इकाई का 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	तदनुसार	₹1,50,000 प्रति इकाई का 50%	

क्र० सं०	घटक का नाम	मद	लागत एवं राज सहायता का विवरण			अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
			मैदानी क्षेत्रों हेतु	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु	
		ट्रैक्टर/पावर टिलर (20 बी०एच०पी० तक) भूमि सुधारीकरण, जुताई व बीजाई हेतु क्यारी तैयारी हेतु आवश्यक उपकरण एवं बुआई, कटाई व खुदाई हेतु उपकरण	₹30,000 प्रति इकाई का 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	तदनुसार	₹30,000 प्रति इकाई का 50%	
		औद्योगिकी हेतु स्वचालित मशीन	₹2,50,000 प्रति इकाई का 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	तदनुसार	₹2,50,000 प्रति इकाई का 50%	
9.	तकनीकी प्रसार हेतु प्रदर्शन	₹25.00 लाख (राजकीय प्रक्षेत्रों हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 75%)				
10.	मानव संसाधन विकास					
अ	प्रशिक्षण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य के अन्दर – ₹1,000/दिन/प्रशिक्षणार्थी (यात्रा देयक सहित) राज्य के बाहर— प्रस्ताव के अनुसार	तदनुसार	तदनुसार	
ब	भ्रमण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के बाहर भ्रमण कार्यक्रम	प्रस्ताव के अनुसार	तदनुसार	तदनुसार	
11.	तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन हेतु	पैक हाउस (9 मी० व 6 मी०)	कुल लागत ₹4.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹2.00 लाख प्रति लाभार्थी	तदनुसार	तदनुसार	
		प्री कूलिंग इकाई (6 मै०टन क्षमता)	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		मोबाइल प्री कूलिंग इकाई (5 मै०टन क्षमता)	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		कोल्ड रूम (30 मै०टन क्षमता)	कुल लागत ₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		कोल्ड स्टोरेज यूनिट ● बेसिक टाईप – सिंगल टैम्परेचर जोन (5,000 मै०टन तक) ● मल्टीपल टैम्परेचर जोन (5,000 मै०टन तक)	(ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी) ● कुल लागत ₹8000/ प्रति मै०टन का 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु ● कुल लागत ₹10,000/ प्रति मै०टन का 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु	(ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी) ● कुल लागत ₹8000/प्रति मै०टन का 50% ● कुल लागत ₹10,000/प्रति मै०टन का 50%	(ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी) ● कुल लागत ₹8000/प्रति मै०टन का 50% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु ● कुल लागत ₹10,000/प्रति मै०टन का 50% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु	

क्र० सं०	घटक का नाम	मद	लागत एवं राज सहायता का विवरण			अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
			मैदानी क्षेत्रों हेतु	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु	
		● कन्ट्रोल्ड एटमोस्फेयर स्टोरेज (5,000 मै0टन तक)	● कुल लागत ₹20,000/ प्रति मै0टन का 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु	● कुल लागत ₹20,000/प्रति मै0टन का 50%	● कुल लागत ₹20,000/ प्रति मै0टन का 50% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु	
	रेफरवेन/ कन्टेनर (6 मै0टन क्षमता)	कुल लागत ₹26.00 लाख प्रति यूनिट 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹26.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹26.00 लाख प्रति यूनिट का 50% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)		
	प्राइमरी/ मोबाईल प्रोसेगिंग यूनिट	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 55% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)		
	राईपरनिंग चैम्बर (300 मै0टन क्षमता)	कुल लागत ₹1.00 लाख प्रति मै0टन का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹1.00 लाख प्रति मै0टन का 50% (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹1.00 लाख प्रति मै0टन का 50% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)		
	ईवोपोरेटिव/ लो एनर्जी कूल चैम्बर	कुल लागत ₹5.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹2.00 लाख प्रति लाभार्थी	तदनुसार	तदनुसार		
	कम लागत वाली संरक्षण (प्रीजरवेशन) इकाई की स्थापना	कुल लागत ₹2.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹1.00 लाख प्रति लाभार्थी	तदनुसार	तदनुसार		
	कम लागत वाली प्याज स्टोरेज स्ट्रकचर (25 मै0टन)	कुल लागत ₹1.75 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹0.875 लाख प्रति लाभार्थी	तदनुसार	तदनुसार		
	पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर (100 किग्रा0)	कुल लागत ₹4,000/ प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹2,000/ प्रति लाभार्थी	तदनुसार	तदनुसार		
	इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन प्रोडक्शन एण्ड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट ऑफ हार्टिकल्चर क्राप्स	कुल लागत ₹600.00 लाख का 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹600.00 लाख का 50% (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	कुल लागत ₹600.00 लाख का 50% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)		
12.	विपणन	टर्मिनल मार्केट	₹150.00 करोड़ प्रति यूनिट का 25 से 40 प्रतिशत (परियोजना आधारित)	तदनुसार	तदनुसार	
		होलसेल मार्केट	₹100.00 करोड़ प्रति यूनिट का 25 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	₹100.00 करोड़ प्रति यूनिट का 33.33% (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	₹100.00 करोड़ प्रति यूनिट का 33.33% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		अपनी मण्डी/ रूरल मार्केट की स्थापना	₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 55% (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 55% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		रिटेल मार्केट/ आउटलेट	₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 50% (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 50% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	

क्र० सं०	घटक का नाम	मद	लागत एवं राज सहायता का विवरण			अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
			मैदानी क्षेत्रों हेतु	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु	
		स्टैटिक मोबाईल बेडिंग कार्ड/प्लेटफार्म (कूल चैम्बर सहित)	₹30,000/प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹15,000/ प्रति लाभार्थी	तदनुसार	तदनुसार	
		फक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ● कलैक्शन, सोर्टिंग, ग्रेडिंग आदि	₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 55% (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)		₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 55% अनुसूचित क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)
		● क्वालीटी कन्ट्रोल/एनालिसिस लैब	सैक्टर के लिये ₹200.00 लाख प्रति यूनिट का 100 प्रतिशत अर्थात ₹200.00 लाख प्रति लाभार्थी प्राइवेट सैक्टर के लिये ₹200.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹100.00 लाख प्रति लाभार्थी (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	तदनुसार	तदनुसार	
		रोपवे (ग्रेविटी बेस्ड)	₹15.00 लाख प्रति किमी० का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी	तदनुसार	तदनुसार	
13.	खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई	₹800.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹400.00 लाख प्रति लाभार्थी	तदनुसार	तदनुसार	

\*\*\*